राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	4173/2024 बाला राम	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बाडमेर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी जी का कुआ जुना पतरासर, बाडमेर।	17.12.2024	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक
2.	4174/2024 शाकेत खान	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सकिपुर, गोविंदगढ़, अलवर।	17.12.2024	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक
3.	**4175/2024** **शैलेन्द्र कौर**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ग्रामीण। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटाा ब्लॉक बस्सी, जयपुर ग्रामीण।	17.12.2024	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक
4.	**4185/2024** **सुरेश चंद शर्मा**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारसंकी, गोंविदगढ़, अलवर।	17.12.2024	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक
5.	**4188/2024** **मोहन लाल कुमावत**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ग्रामीण। 4. प्रधानाचार्य, श्रीमती सुरेन्द्र देवी संगाका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर ग्रामीण। 5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर ग्रामीण। 6. कैलाश भानवरिया, बेसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर श्रीमती सुरेन्द्र देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर ग्रामीण।	**17.12.2024**	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक
6.	**4191/2024** **करिश्मा चावडी**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, धौलपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खापरेला, ब्लॉक साईपाव, धौलपरु।	**17.12.2024**	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक

7.	**4193/2024** **रश्मि रानी कोडली**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालचंदपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर।	**17.12.2024**	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक
8.	**4195/2024** **संध्या धाकड़**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, यूपीएस नागला होटा, ब्लॉक, बयाना, भरतपुर।	**17.12.2024**	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक
9.	**4196/2024** **लोकेश कुमार**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, श्रीनगर, ब्लॉक सिवाड़, भरतपुर।	**17.12.2024**	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक
10.	**4197/2024** **प्रिति शर्मा**	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर। 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, विरूवंधा, ब्लाक धौलपुर, धौलपुर।	**17.12.2024**	श्री रामप्रताप सैनी, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 02.01.2025

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4173/2024 बाला राम बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 07.12.2024 के विवादित आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को प्रतिबंध अवधि में इस तथ्य पर विचार किए बिना दूर के स्थान पर नियुक्ति दी गई थी कि पास के नियुक्ति स्थान पर शिक्षक ग्रेड III लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के पद रिक्त है। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 1193 पर रखा गया था। प्रत्यर्थी विभाग

ने विवादित आदेश के माध्यम से अपीलार्थी की नियुक्ति का स्थान बदल दिया। अपीलार्थी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी जी का कुआं जूना पतरासर, जिला बाड़मेर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरा चारणन, जिला बाड़मेर में अपना पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने काउंसलिंग किए बिना और पास में खाली पद दिखाए बिना अवैध रूप से पदस्थापना बदल दी है। (अनुलग्नक–1) इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 14.11.2024 को विवादित आदेश जारी किया, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों को अधिशेष घोषित करके उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। प्रत्यर्थी विभाग ने काउंसलिंग आयोजित किए बिना ही विवादित नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्ण इरादे से अवैध रूप से अधिशेष घोषित करके नियुक्ति किया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलकर्ता अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के पद पर कार्यरत है। उसके बाद अपीलार्थी ने अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा पूरी ईमानदारी और संतुष्टि के साथ अपनी सेवाएं दे रही है। प्रत्यर्थी विभाग ने विवादित आदेश के तहत अपीलार्थी की नियुक्ति का स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी जी का कुआं जूना पतरासर, जिला बाड़मेर से बदलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरा चारणन, जिला बाड़मेर कर दिया तथा उन्होंने काउंसलिंग किए बिना तथा आस–पास के रिक्त पदों को दर्शाए बिना अवैध रूप से नियुक्ति ब्लॉक बदल दिया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 07.12.2024 के आदेश के तहत प्रतिबंध अवधि में अपीलार्थी की नियुक्ति का स्थान अवैध रूप से बदल दिया। अपीलार्थी को नियमित पद से नियमित वेतन मिल रहा है क्योंकि वह स्वीकृत पद पर काम कर रही है और वह अधिशेष कर्मचारी नहीं है। अपीलार्थी अपने विद्यालय में सबसे वरिष्ठ अभ्यर्थी है, इसके बावजूद रिक्त पद होने के बावजूद उसे बिना विवेक का प्रयोग किए तथा विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना पद पर नियुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी को बिना कोई कारण बताए परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी को किसी अन्य स्थान पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक 1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी जी का कुआं जूना पतरासर, जिला बाड़मेर में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 4173/2024 बाला राम बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)